न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 153 / 2007

1 अर्जुनसिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी जरिए महंत लक्ष्मणाचार्य जरिये मुख्तयार नन्दलाल पुत्र रामदेव जाति ब्राह्मण निवासी दासा की ढाणी तहसील व जिला सीकर।
2 राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय, सीकर।
3 तहसीलदार तहसील कार्यालय सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट विरूद्ध
निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर
सीकर दिनांक 21.08.2007 मु.नं. 657 / 99

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 22/5/26

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 657/99 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 83/1 के नये खसरा नम्बर 93 वाके ग्राम नानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी शाश्वत विधिक व्यक्ति की संज्ञा में आता है। प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी न तो मरा है और न मर सकता है। प्रस्तुत दावा प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी के विरूद्व पेश किया गया है। प्रवितादी सं. 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी की ओर से प्रस्तुत वादान्तर्गत टी.आई आवेदन सं. 351/99 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के आदेश दिनांक 06.07.2007 के विरूद्व माननीय न्यायालय में अपील संख्या 90/02 पेश की थी। उक्त अपील में प्रतिवादी सं. 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी महंत रामेश्वरदास की मृत्यु हो जाना मान्य कर महंत रामेश्वरदास के चेले लक्ष्मणाचार्य को उसकी चादर ओढ़ाना ओर रामेश्वरदास के स्थान पर लक्ष्मणाचार्य को महंत बनना मान्य कर प्रतिवादी सं. 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी वकील श्री प्रदीप जोशी ने नये महंत लक्ष्मणाचार्य की ओर से वकालतनामा पेश कर नये महंत की ओर से पेरवी करते रहे है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी के वकील श्री प्रदीप जोशी शुरू से जरियं महंत रामेश्वरदास व नये मंहत लक्ष्मणाचार्य के वकालतनामा पेश कर पैरवी करते रहना स्वीकृत ओर रिकार्डेड तथ्य है प्रस्तुत दावे में नये महंत का वकालतनामा पेश न करना उनकी भूल और गलती है जिसका दण्ड वादी को दिया जाना किसी भी रूप में उचित कानून सम्मत और न्याय संगत नहीं है क्योंकि प्रस्तुत दावान्तर्गत टी.आई की अपील में महंत रामेश्वरदास के स्थान पर नया महंत को रिकार्ड पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लिया जा चुका था। प्रकरण के किसी भी स्टेज पर नये महंत को रिकार्ड पर ले लेने के आदेश के बावजूद नया महंत बहाने अबैट किया जाना कानून सम्मत व न्यायसंगत नहीं है। किसी भी अव्यस्क या मूर्ति मंदिर के हि मित्र की मृत्यु को जाने पर नया हित मित्र नियुक्त किये जाने के विधिक विधान है और प्रस्तुत में नए महंत को रिकार्ड पर ले लिय गया था। अव्यस्क था मूर्ति मंदिर के जीवित रहते अबेट घोषित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित कानून सम्म्त और न्याय संगत नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों व साक्ष्यों का ही विवेचन विश्लेषण और मूल्यांकन नहीं किया और कल्पना व कयास के आधार पर दावा अबैट हो जाना मानकर खारिज कर दिया जो किसी भी दृष्टि से कानून सम्मत व न्याय संगत नही है। अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 83/1 के नये खसरा नम्बर 93 वाके ग्राम नानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया। उक्त वाद वादी द्वारा मूर्ति मंदिर ठाकुर जी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है पक्षकारान के अभिभाषक इस बिन्दु से सहमत है कि मूर्ति मंदिर ठाकुर जी के महन्त रामेश्वरदास का स्वर्गवास हो चका है। वकील वादी ने इस कथन को भी स्वीकार किया है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी थी लेकिन दावा मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिक के महंत की ओर से प्रस्तुत किया गया था। मूर्ति मंदिर के महन्त रामेश्वरदास का स्वर्गवास दिनाक 24.07.2003 को होने पर वादी का यह कर्तव्य बनता है कि वह इस संबंध में न्यायालय को अवगत करवाता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ही वादी ने महन्त का स्वर्गवास होने पर वाद–पत्र में इसका संशोधन करवाने बाबत कोई कार्यवाही की। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से दावा अबैट घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 83/1 के नये खसरा नम्बर 93 वाके ग्राम नानी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अबेटमेंट के आधार पर खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी शाश्वत विधिक व्यक्ति की संज्ञा में आता है। प्रस्तुत दावा प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी के विरूद्ध पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी की ओर से प्रस्तुत वादान्तर्गत टी.आई आवेदन सं. 351/99 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के आदेश दिनांक 06.07.2007 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील संख्या 90/02 पेश की थी। उक्त अपील में प्रतिवादी सं. 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी महंत रामेश्वरदास की मृत्यु हो जाना मान्य कर महंत रामेश्वरदास के चेले लक्ष्मणाचार्य को उसकी चादर ओढ़ाना ओर रामेश्वरदास के स्थान पर लक्ष्मणाचार्य को महंत बनना मान्य कर प्रतिवादी सं. 1 मूर्ति मंदिर ठाकुरजी वकील श्री प्रदीप जोशी ने नये महंत लक्ष्मणाचार्य की ओर से वकालतनामा पेश कर नये महंत की ओर से पेरवी करते रहे है।

इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर श्री ठाकुरजी के वकील श्री प्रदीप जोशी शुरू से जरिये महंत रामेश्वरदास व नये मंहत लक्ष्मणाचार्य के वकालतनामा पेश कर पैरवी करते रहना स्वीकृत ओर रिकार्डेड तथ्य है प्रस्तुत दावे में नये महंत का वकालतनामा पेश न करना मानवीय भूल है। प्रस्तुत दावान्तर्गत टी.आई की अपील में महंत रामेश्वरदास के स्थान पर नया महंत को रिकार्ड पर लिया जा चुका था।

प्रकरण के किसी भी स्टेज पर नये महंत को रिकार्ड पर ले लेने के आदेश के कारण दावा अबैट किया जाना न्यायसंगत नहीं है। किसी भी अव्यस्क या मूर्ति मंदिर के हित मित्र की मृत्यु को जाने पर नया हित मित्र नियुक्त किये जाने के विधिक विधान है और प्रस्तुत में नए महंत को रिकार्ड पर ले लिया गया था। अव्यस्क था मूर्ति मंदिर के जीवित रहते अबेट घोषित किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित कानून सम्मत और न्याय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संगत नहीं है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि महंत रामेश्वरदास के स्थान पर महंत लक्ष्मणाचार्य को पक्षकार संयोजित कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर